

आदेश

राज्य सरकार के चयनित वेतन श्रंखला आदेश क्रमांक एफ-20(1)/वित्त/ग्रुप-2/92 दिनांक 25.01.1992 एवं क्रमांक एफ-20(1)/वित्त/ग्रुप-2/92 पार्ट-1 दिनांक 21.12.1993 के अनुसरण में श्री रमेश चन्द सोलंकी, लैब टेक्नीशियन अधीनस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को जिनकी प्रथम नियुक्ति तिथि 26.04.1985 है, को 9 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 26.04.1994 से चयनित वेतन श्रंखला 1400-2600 स्वीकृत की जाती है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टे./1142-III/2017/ 783

दिनांक : 5.12.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन- जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मणगढ़(अलवर)।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे (0141-2222683 एवं इमेल आई.डी. add4ng@gmail.com)
5. श्री रमेश चन्द सोलंकी, लैब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर